फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री नेमीचंद जैन पुत्र श्री रायचन्दजी
निवासी सिरोही रोड
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 59 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.11.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 11.08.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही द्वारा जारी पत्र क्रमांक / विविध / सतर्कता / 09 / 693–94 दिनांक 08.06.2009 में दिए गए विवरण अनुसार श्री कपूरचंद पुत्र श्री कानाजी निवासी वलदरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा श्री कपूरराय के प्लॉट सं. 67 पर फर्जी दो पट्टे जारी करना बताया है, उक्त फर्जी पट्टों के सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रमाणित प्रति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 7 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2008 में पट्टे निरस्त करने के आदेश में कब्जा देने का आदेश दिया गया, उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति तथा पत्रांक 693–94 दिनांक 08.06.2009 में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 / – जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 11.08.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही द्वारा जारी पत्र क्रमांक / विविध / सतर्कता / 09 / 693–94 दिनांक 08.06.2009 में दिए गए विवरण अनुसार श्री कपूरचंद पुत्र श्री कानाजी निवासी वलदरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत कालन्द्री द्वारा श्री कपूरराय के प्लॉट सं. 67 पर फर्जी दो पट्टे जारी करना बताया है, उक्त फर्जी पट्टों के सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रमाणित प्रति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 7 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2008 में पट्टे निरस्त करने के आदेश में कब्जा देने का आदेश दिया गया, उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति तथा पत्रांक 693–94 दिनांक 08.06.2009 में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध में की गई जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	